



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1942 (श10)
(सं0 पटना 630) पटना, बुधवार, 23 सितम्बर 2020

सं० वर्षा/BMSKS-05/2020/895
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संकल्प
2 सितम्बर 2020

विषय:- राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में अधिष्ठापित स्वचालित मौसम केन्द्र (Automatic Weather Station-AWS) तथा सभी ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित किये जाने वाले स्वचालित वर्षामापी यंत्र (Automatic Rain Gauge-ARG) से प्राप्त आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रचार-प्रसार (Dissemination) हेतु राज्य स्तर पर बिहार मौसम सेवा केन्द्र (BMSK) की स्थापना एवं संचालन हेतु सोसाईटी के गठन की स्वीकृति।

बिहार एक बाढ़ प्रणव राज्य है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़, सुखाड़, शीतलहर, लू, वज्रपात, मूसलाधार वर्षा एवं चक्रवातीय तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती है, जिससे जान-माल की भारी क्षति होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं खासकर बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि एवं भूकंप आदि के पूर्वानुमान तथा इससे संबंधित सूचनाओं का प्रचार-प्रसार कर जन धन की हानि को न्यूनतम करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।

2. वर्तमान में कृषि पूर्वानुमान, सुखाड़ तथा बाढ़ के कारण फसलों के क्षति के पूर्वानुमान के लिए जिला स्तर, प्रखंड स्तर तथा पंचायत स्तर पर जिस प्रकार के डिसएग्रीगेटेड डाटा (Disaggregated Data) की आवश्यकता है, जिसकी उपलब्धता हेतु राज्य के प्रखंड मुख्यालयों में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) एवं सभी पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) की स्थापना की जा रही है। स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS), स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) से प्राप्त आंकड़ों के समेकन, एकीकरण, विश्लेषण, प्रचार-प्रसार तथा पूर्वानुमान के लिए बिहार मौसम सेवा केन्द्र की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी के गठन का प्रस्ताव है।

3. राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगी:-

- (i) स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) के संचालन (Operation) एवं रखरखाव (Maintenance) संबंधी कार्यों का अनुश्रवण (Monitoring) तथा उससे प्राप्त आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, पूर्वानुमान, व्याख्या एवं प्रसारण।
- (ii) बिहार मौसम सेवा केन्द्र के अधिष्ठापन, संचालन एवं रख-रखाव हेतु नीति का निर्धारण।
- (iii) बिहार मौसम सेवा केन्द्र के प्रबंधन (Management) संचालन एवं रख-रखाव हेतु अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से नियमानुसार वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त करना।
- (iv) बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने एवं इससे निपटने हेतु योजना/कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकार के संबंधित विभागों को समय-समय पर आवश्यक सहयोग देना।
- (v) बिहार मौसम सेवा केन्द्र द्वारा विश्लेषित आंकड़ों एवं पूर्वानुमान के प्रचार-प्रसार हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के लिए नीति निर्धारण में सहयोग देना।

4. बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी द्वारा स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर एकीकृत रूप से प्रखंडवार/ पंचायतवार वर्षा का पूर्वानुमान (Rain Forecasting), मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecasting), वर्षा जल का मापन (Rain Water Measurement), मौसम के विभिन्न प्रकार के आकड़ों का मापन, बाढ़ का पूर्वानुमान (Flood forecasting), प्राकृतिक आपदा संबंधी सूचना, भूमिगत जल की उपलब्धता (Availability of Ground Water) संबंधित सूचना प्राप्त करना, नदियों में वर्षा जल का स्त्राव का आकलन से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी द्वारा किसानों/आम जनों को एस०एम०एस०/ सोशल मिडिया/ नेटवर्क/ ई-मेल/ 24x7 हेल्प डेस्क के माध्यम से सभी तरह की मौसम आधारित सूचनायें उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

5. वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा 05 जिलों के 74 प्रखंड मुख्यालय में अधिष्ठापित की जाने वाली स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) एवं 1146 ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित की जाने वाली स्वचालित वर्षामापी यंत्र/टेलीमेट्रिक वर्षामापी यंत्र (ARG/TRG) से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण एवं पूर्वानुमान हेतु कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केन्द्र (KSNDMC), बंगलोर से एकरारनामा (MoU) किया गया है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा इन पाँच जिलों को छोड़कर राज्य के शेष 33 जिलों के 400 प्रखंडों में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) का अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है तथा 7000 ग्राम पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रारंभ में, बिहार मौसम सेवा केन्द्र की स्थापना एवं संचालन में, कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केन्द्र (KSNDMC), बंगलोर का तकनीकी सहयोग लिया जायेगा। साथ ही राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों, भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, पटना सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), बंगलोर के साथ समन्वय स्थापित कर यह समिति बिहार मौसम सेवा केन्द्र का संचालन करेगी।

6. जब तक बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी द्वारा अपने निदेशक का नियोजन नहीं कर लिया जाता है तब तक निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार। इस सोसाईटी के निदेशक का भी कार्य करेगा।

7. बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी की स्थापना हेतु योजना एवं विकास विभाग के द्वारा स्थान, आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी।

8. बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी का पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association) एवं पार्षद अंतर्नियम (Articles of Association) का प्रारूप परिशिष्ट-‘क’ पर संलग्न है, जिसके अनुसार बिहार

मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी के संचालन, प्रबंधन एवं नीतिगत निर्णय हेतु सामान्य निकाय (General Body) एवं कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन निम्नरूपेण किया जाना है:-

सामान्य निकाय (General Body)

क्र.सं.	सदस्यों का पदनाम	पदनाम
1.	विकास आयुक्त, बिहार	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
7.	प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
10.	प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
11.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	सदस्य
12.	मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना	सदस्य
13.	निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र, पटना	सदस्य सचिव

कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)

क्र.सं.	पेशा	पदनाम
1.	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
3.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
4.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
5.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
6.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक, कृषि विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
7.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	सदस्य
8.	निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र, पटना	सदस्य सचिव

9. बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी के पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association) एवं पार्षद अंतर्नियम (Articles of Association) पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. बिहार मौसम सेवा केन्द्र की संचालन हेतु राज्य स्तर पर बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी के गठन तथा इसके पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association) एवं पार्षद अंतर्नियम (Articles of Association) के प्रारूप के अनुमोदन के प्रस्ताव पर दिनांक- 25.08.2020 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-42 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनीष कुमार वर्मा,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 630-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>